COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर (कैम्प सागर)

निगरानी याचिका क्रमांक– I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2018/0968

अशोक कुमार जैन पुत्र शोभाराम जैन

निवासी बम्हौरी तहसील बकस्वाहा

जिला छतरपुर म0प्र0 — निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन
2. प्रभुदयाल पुत्र कालूराम राठौर
   निवासी आयूषी प्रेट्रोल पम्प के पास
   सागर रोड बन्डा (बेलई) तहसील बंडा
   जिला सागर म0प्र0 — प्रति निगरानी कर्तागण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक बम्हौरी तहसील बकस्वाहा द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ–12/15–16 में पारित सीमाकंन आदेश दिनॉक 24.07.2017 के विरूद्व।

निगरानी कर्ता निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत कर विनय करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रति निगरानी कर्ता 2 द्वारा अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक मंडल बम्हौरी तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 148/1/3, 149/1/2 एवं 150/1 रकवा 1.184 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।
2. यह कि प्रति निगरानी कर्ता की उक्त भूमि से लगा हुआ 151 रकवा 0.914 आरे स्थित हैं जिससे स्पष्ट है कि निगरानी कर्ता पड़ोसी कृषक था और उसे सीमांकन की सूचना दी जानी चाहिए थी जो विधिवत नहीं दी गई और प्रति निगरानी कर्ता क्रमांक 2 के आवेदन पत्र पर सीमांकन मनमानें ढंग से विधि विपरीत किया गया जो अनुचित एवं अवैधानिक होंनें सीमांकन आदेश दिनॉक 24.07.2017 के विरूद्व निगरानी याचिका निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। –

निगरानी याचिका के आधार

3. यह कि सीमांकन के नियमों एवं प्रावधानों का पालन न करते हुए अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन किया है नियमानुसार किए जानें वाले भूमि के सीमांकन के पूर्व पड़ोसी कृषक को सूचना दी जाना चाहिए जो औपचारिक रूप से नोटिस बनाया गया फर्जी हस्ताक्षर कराकर सीमांकन प्रकिया की गई जो प्रथम द्रष्ट्या ही दूषित होने से निरस्ती योग्य है।

अशोक जैन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0968

अशोक कुमार जैन विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बम्हौरी तहसील बकस्वाहा, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 32/अ–12/2015–2016 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	